फर्द अहकाम

(नियम 26)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर</u>

राणेखां व अन्य बनाम जीवणखां व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 R.T.Act प्रकरण संख्याः–54/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.020		

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी न. 1 ता 9 अप्रार्थी न. 1 के पुत्र/पुत्रीया है प्रार्थी न. 10 अप्रार्थी न. 1 की पत्नी है जो मानसिक रूप से पागल है इसलिए उसकी ओर से तो यह प्रकरण जरिये वाद मित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि उनके दादा समा के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 83 में 2.087 हैक्ट व खसरा न. 160 में 21.505 हैक्ट रकबा में 1/4, 1/4 हिस्सा खातेदारी था प्रार्थीगण के दादा के फौत होने के बाद यह रकबा अप्रार्थी न. 1 को पैतृक प्राप्त हुआ जिसमे अप्रार्थी न. 1 का 1/4 में 1/7 हिस्सा प्रार्थीगण बीकानेर सभाग के मुसलमान है जो पिछले 200 वर्षा से यही रह रहे है प्रार्थीगण एव अप्रार्थी का परिवार सयुक्त परिवार है व सयुक्त परिवार में रहते हुए अप्रार्थी न. 1 के नाम से खसरा न. 147/221 पुराना खसरा न. 221 में 50 बीघा यानि 12.650 हैक्ट जदीद खातेदार के रूप में दर्ज हुआ व खसरा न. 735/221 मुल खसरा 221 में 3.213 हैक्ट रकबा व खसरा न. 740/221 मुल खसरा 221 में 0.582 हेक्ट कुल 3.795 हैक्ट रकबा दस साला आवटन हुआ इस प्रकार यह रकबा सयुक्त परिवार के रूप में रहते हुए ही अप्रार्थी न. 1 के नाम से खातेदारी हुआ है इसलिए उक्त तमाम रकबा पैतृक है। प्रार्थीगण जाति व धर्म से तो मुसलमान है परन्तु भूमि का बटवारा हिन्दुओ के तरह ही होता है हमारे परिवार के कोई मुसलमान के फौत हो जाने के पश्चात उसके नाम के रकबा का इन्तकाल सभी वारिसो के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होता है जबकि मुस्लिम विधि में एक मुसलमान के फौत होने के बाद उसके रकबा का इन्तकाल उसकी पत्नी को 1/6 हिस्सा व लडकीयो को 1/3 हिस्सा व लडको को लडकीयों से दुगुना मिलता है हमारे परिवार से हमेशा ही भूमि का इन्तकाल, दस्तबरदारी–दान–वसीयत हिन्दुओ की तरह हुआ है हमारे दादा समा के फौत हो जाने के बाद उसके नाम का रकबा हमारे पिता अप्रार्थी न. 1 को व हमारे पिता को विरासतन प्राप्त हुई है या दादा की भूमि की आय से अर्जन हुआ है या संयुक्त परिवार में रकबा आंवटन हुआ हो तो तमाम रकबा पैतृक माना जाता है व ऐसी सम्पति में पुत्र, पुत्रीयो का पिता के बराबर हक मिलता है तथा पुत्र पुत्रीया अपने पिता के जीवनकाल में ही हक की घोषाणा करवा सकते है तथा पुत्र पुत्रीयो के मध्य जब घोषाणात्मक का दावा चल रहा हो तो पत्नी पुत्र पुत्रीयो के समान हक अपने पति के रकबा मे प्राप्त कर सकती है इसलिए उक्त अप्रार्थी न. 1 के तमाम रकबा में प्रार्थीगण ब.हि.बराबर 1/11, 1/11 हिस्से के हकदार व खातेदार है परन्तु उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी न. 1 के नाम खातेदारी है तथा वो अकारण प्रार्थीगण से नाराज रहता है व जमीन बैचने की बार बार धमकी देता है यदि वो मूल वाद के निर्णय से पूर्व रकबे का बैचान कर दिया तो प्रार्थीगण अपने वैधानिक अधिकारो से मेहरूम हो जावेगे। दावा के निर्णय तक जैरवाद रकबा की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। आर आर डी 2008 पेज न. 1 व आर बी जे 2009 पेज न. 78 कानुनी नजीरे प्रस्तुत की। अप्रार्थी न. 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को इन्कार करते हुए निवेदन किया कि वो जाति से मुसलमान है व मुस्लिम विधि में पैतृक व स्वअर्जित रकबा एक समान होता है तथा मुस्लिम परिवार व मुस्लिम विधि के अनुसार एक पिता के जीवनकाल मे उसका पुत्र दावा नही ला सकता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया यह बात सही है कि रोही ठुकराना के खसरा न. 63, खसरा न. 83, खसरा न. 160 की भूमि अप्रार्थी न. 1 को पैतृक प्राप्त रकबा है तथा इस रकबा के एक सहखातेदार माघू के फौत होने के बाद उसका इन्तकाल उसके पुत्र पुत्रीयो व पत्नी में ब.हिस्सा बराबर दर्ज हुआ है तथा प्रार्थीगण के दादा समा के फौत होने के बाद भी समा के पुत्र पुत्रीयान सभी के बहिस्सा बराबर विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ जो हिन्दुओ के जायज वारिसो के समान दर्ज हुआ जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुसलमान के फौत होने के बाद उसकी पत्नी व पुत्र पुत्रीयो के बीच एक समान कतई हक नही बनता है इससे यह बात साबित होती है की जैरप्रकरण रकबा के बाबत इस मुस्लिम परिवार में भूमि का बटवारा हिन्दुओ की तरह होता है तथा कानुनी नजीर आर बी जे 2009 पेज न. 78 के अनुसार भी टी आई जारी किया जाना उचित है इसलिए प्रार्थीगण कें प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी न. 1 को मूल वाद के निर्णय तक पूर्व में जारी अन्तिरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मै स्थायी करना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर पूर्व में [illegible] निषेधाज्ञा दिनांक 15.04.2015 को स्थाई किया जाकर अप्रार्थी न. 1ता 3 [illegible] दावा [illegible] निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे जैरवाद रकबा की [illegible] रखे व अप्रार्थी न. 1 इस रकबा के रहन बैय हस्तान्तरण न करे व [illegible] इत्यादि न करे। आदेश सरे इजलास आज दिनांक 21.08.2020 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:34:13 IST
Reason: SelfAttested